ई–मेल

पत्रांक– 10/ड्यूटी–8/2013– 281 /

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

प्रेषक : शैलेन्द्र नाथ सिन्हा,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,
जिला अवर निबंधक (सभी)।

पटना, दिनांक– 20/1/2015

विषय : – शपथ–पत्र पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग में कुछ कार्यालयों/कार्यकारी न्यायालयों में शपथ–पत्र पर रू. 100/– के स्थान पर रू. 20/– के स्टाम्पों के प्रयोग होने की सूचना प्राप्त हुई है, साथही जाली स्टाम्पों के प्रयोग होने की भी सूचना प्राप्त हुई है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी कार्यकारी न्यायालयों (व्यवहार न्यायालय छोड़कर) एवं शपथ–पत्र प्रयोग करने वाले कार्यालयों को रू. 100/– का गैर न्यायिक मुद्रांक लगे हुए शपथ–पत्रों को ही स्वीकार करने का अनुरोध किया जाए एवं मुद्रांक के जाली होने की संभावना होने पर निकटस्थ निबंधन कार्यालय से संतुष्ट हो लेने की सलाह दी जाए।

विश्वासभाजन

20/1/15

(शैलेन्द्र नाथ सिन्हा)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

जिला निबंधक का कार्यालय: मधेपुरा

ज्ञापांक – 76 – दिनांक – 04-02-15

प्रतिलिपि – 1) समाहर्ता / अपर समाहर्ता मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2) अनुमण्डल पदाधिकारी मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित

3) अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4) जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला वेबसाइट के नोटिस पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

DSR/ MDP.
04/02/15